राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

विज्ञप्ति

विभाग में परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, आबूरोड़ के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त हुए 65 वर्ष से कम आयु के आर.ए.एस. अधिकारियों की सेवायें संविदा पुर्ननियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के समय-समय पर दिये गये निर्देश एवं शर्तो के अधीन ली जानी है। संविदा पर पुर्ननियुक्त अधिकारियों को समेकित पारिश्रमिक राशि 20000/- रूपये प्रतिमाह देय होगा। आवेदनकर्ता विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में अपना आवेदन पत्र आयुक्तालय, उदयपुर में प्रस्तुत करें। आवेदन का प्रारूप एवं शर्ते इस विभाग की वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताऐं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्त के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
   (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)(एलपीसी संलग्न है)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान :
    (सेवानिवृति के समय)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
    (संलग्नानुसार)

सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए बचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर (राज्य सरकार) परिपत्र संख्या एफ 17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 26.05.2014 में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :

सेवानिवृत्त अधिकारी
के हस्ताक्षर

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाऐं लेने के लिए शर्ते

1. परियोजना अधिकारियों के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो। वे ही पात्र होंगे।
2. संविदा पुनर्नियुक्त अधिकारियों को समेकित पारिश्रमिक राशि 20000/– रूपये प्रतिमाह (सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं) होगा।
3. यह नियुक्ति उक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/पदस्थापन होने तक अथवा सम्बन्धित सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए की जायेगी।
4. संविदा पुनर्नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देशों के अधीन होगी।
5. आवेदनकर्ता को इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में अपना आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः प्रेषित करना होगा।